

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2154
06.08.2026 को उत्तर के लिए

विदर्भ में बुनियादी ढांचे के लिए मंजूरियां

2154. श्री मुकुल वासनिक:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के छह जिलों (नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर एवं गढ़चिरोली) में वर्तमान में 'झुडपी जंगल' (झाड़ी वन) के रूप में वर्गीकृत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;
- (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार से अपेक्षित मंजूरियों की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) मंत्रालय द्वारा इन जमीनों पर निर्मित सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे विद्यालयों, अस्पतालों, रेलवे नेटवर्क) तथा आवासीय झुग्गी बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) डेटा प्रस्तुतीकरण तथा वन पुनर्वर्गीकरण संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को लागू करने हेतु महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ समन्वय में कौन-कौन से संयुक्त उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) से (घ) : महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, छह जिलों नामतः नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरोली में 86,409.55 हेक्टेयर क्षेत्र में 'झुडपी जंगल' फैले होने की सूचना प्राप्त हुई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं. 202/1995, वर्ष 2025 के आई.ए. संख्या 66986 और 74569 के तहत दिनांक 22.05.2025 के आदेश में दिए गए निदेशों के अनुसार, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने 'झुडपी जंगल' भूमि प्रखंड को सूची से हटाने के लिए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की एक सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की है। उक्त प्रक्रिया के अनुसरण में, मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से, 'परिवेश' पोर्टल पर 'झुडपी जंगल' की भूमि को सूची

से हटाने से संबंधित प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण और अनुमोदन के संबंध में एक समर्पित संपूर्ण ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित और संचालित किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण को सुगम बनाने के लिए एक विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका भी तैयार की गई है और इसे 'परिवेश पोर्टल' पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि परिवेश पोर्टल पर झुडपी जंगल की भूमि को सूची से हटाने संबंधी प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उन पर आगे कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों तथा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
